

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/185
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00168
CICOM/R/2018/00624

दिनांक: 26.07.2018

अपीलकर्ता : श्री एम. के. कश्यप,
9/3170, गली नं. 4,
धर्मपुरा, गांधी नगर, दिल्ली - 110031.

निर्णय की तारीख: 26.07.2018

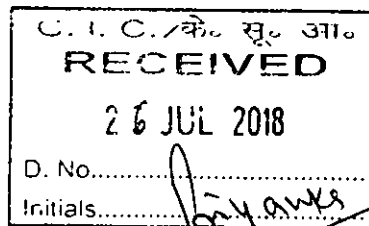
आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	12.06.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	26.06.2018, 10.07.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर. पी. गोवर, श्री जीवन चन्द्र
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	12.07.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	343/19.07.2018 (650/18.07.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 12.06.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील सं. CIC/EDMCS/A/2017/137425 की सुनवाई एवं 01.04.2018 से 10.06.2018 तक आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों, उनकी सुनवाई एवं विचाराधीन अपीलों से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी। द्वितीय अपील सं. CIC/EDMCS/A/2017/137425 के संबंध में श्री आर. पी. गोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त संदर्भित आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 1 के तहत द्वितीय अपील सं. CIC/EDMCS/A/2017/137425 के संदर्भ में श्री आर. पी. गोवर एवं बिंदु सं. 2 से 5 के संदर्भ में 01.04.2014 से 10.06.2018 तक आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों, उनकी सुनवाई एवं विचाराधीन अपीलों के संदर्भ में संदर्भ श्री जीवन चन्द्र, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही भी उल्लेख किया जाता है कि केन्द्रीय सूचना आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों की सुनवाई हेतु कोई समय - सीमा निर्धारित नहीं है। द्वितीय अपीलों की सुनवाई उनके प्राप्त होने के तिथि के अनुसार वरीयता क्रम में की जाती है।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



राकेश
(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

gk
26/07/18